न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 76 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 शौकिननाथ पुत्र जवाननाथ जाति कालबेलिया निवासी— ढुढा लाम्बोडी तहसील सोजत, जिला— पाली।		01. राजस्थान सरकार जरिए जिला— कलेक्टर महोदय, पाली।
		02. राजस्थान सरकार, जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत, तहसील— सोजत, जिला— पाली।
		03 अशोक कुमार पुत्र वेनाराम जाति सिरवी निवासी सारंगवास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
		04 नाथी पुत्र खुमाराम जाति मेघवाल निवासी गुडाकंला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान
		05 मदन
		06 रमेश
		07 मन्जू पिसरान प्यारीदेवी जाति गण मेघवाल निवासीगण गुडाकंला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

दिनांक :— 08/04/2024

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम हीरावास पटवार हल्का गुड़ारामसिंह, भू.अ.नि. क्षेत्र गुड़ाकलां तहसील सोजत के खसरा संख्या 402 रकबा 0.4800 हैक्टर में पहुचने के लिए खसरा नम्बर 394 गै0मु0 रास्ते में सें होते हुए खसरा नम्बर 373 रकबा 0.056 हैक्टर व खसरा नम्बर 405 रकबा 0.3800 हैक्टर से जाने का आशय रखते है, इसलिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसराह नम्बर 402 तक आवागमन हेतु 20 कुट चौडा रास्ता अप्रार्थी संख्या 03 के खसरा नम्बर 373 व अप्रार्थी संख्या 04 लगायत 07 खसरा म्बर 405 रकबा 0.3800 हैक्टर में सें प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी की अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई व्यकलपीक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को खसरा नम्बर 402 तक पहुचने के लिए अप्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 394 में सें होते हुए खसरा नम्बर 373 व 405 में से आने जाने कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर गाडी छकडा इत्यादि लाने ले जाने हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। तथा उक्त रास्ता ही प्रार्थी के खते तक पहुचने के लिए निकटतम व लधुतम रास्ता है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा कराने हेतु तैयार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम हीरावास मेंस्थित प्रार्थी की कृषि भूमि खसराह नम्बर 402 रकबा 0.4800 हैक्टर में आवागमन हेतु अप्रार्थी गणकी कृषि भूमि खसरा नम्बर 394 गैर0मु0 रास्ता में से होते हुए खसरा नम्बर 373 व खसरा नम्बर 405 में से 20 फुट रास्ता दिलाया जाकर तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण 03 लगायत 07 बावजूद तामीली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध आज एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सोजत ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीत भूमि ग्राम गुडा कंला में स्थित है। शेष पैरा प्रार्थी स्वयं साबित करे व कानूनी होना बताया गया है।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक / निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक / राजस्व / 2022 / 2833 दिनांक 16.11.2022 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 402 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 405 व 373 में से उतर दिशा की माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं, होकर तहसीलदार, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

भू0अ0निरी0 शिवपुरा, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यातिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 373 व 405 में से होकर पाया जाता है. इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम हीरावास पटवार हल्का गुडारामसिंह भू0अ0निरीक्षक गुडाकंला तहसील सोजत खसरा नंबर 402 रकबा 0.4800 है0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की ख0न0 405 व 375 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 405 व 375 में से (256388/— रू0 × 2 × 0.0416 है0 = 21332 /— रूपये तथा 256388/— रू0 × 2 × 0.0.0210 है0 = 6154 /— रूपये) उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	405	0.3800	जमनी पत्नि खुमाराम नाथी पत्नि खुमाराम प्यारी पुत्री खुमाराम	104×4=416 0.0416	7110/- 7111/- 7111/-
2	373	0.5600	अशोक कुमार पुत्र वेनाराम सिरवी	30×4=120 0.0120	6154/-

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत माफिक नजरी नक्शा मार्क ए से बी अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किए जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 08/05/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली